अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध नवीन शिक्षण संस्थान,
राजकीय / अनुदानित / निजी क्षेत्र / पीपीपी मोड।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 3001 **लखनऊः दिनांकः** 18/07/2024

विषयः वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024–25 में नवीन शिक्षण संस्थानों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता / शुल्क प्रतिपूर्ति) मास्टर डाटा बेस सम्मिलित कराने संबंधी ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0ः 16–3099 / 22 / 2019–प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3–प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊः दिनांकः 04.07. 2024 **(छायाप्रति संलग्न– 01)** के साथ संलग्न समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्र सं0ः 84 / 2024 / 1832 / 26–3–2024 / C.N.-1741061, दिनांकः 28.06.2024 **(छायाप्रति संलग्न– 02)**, पत्र सं0ः 85 / 2024 / 1831 / 26–3–2024 / C.N.-1513982, दिनांकः 28.06.2024 **(छायाप्रति संलग्न– 03)** एवं 86 / 2024 / 1833 / 26–3–2024 / C.N.-1396097, दिनांकः 28.06.2024 **(छायाप्रति संलग्न– 04)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य वर्ग पूर्वदशम (कक्षा –10) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार कर, सत्यापन, लॉक करने एवं समय–सारिणी का प्रचार–प्रसार करते हुए सुसंगत छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रदान किये गये है।

समाज कल्याण अनुभाग–3 के उपरोक्त पत्र के बिन्दु 3 में क्रंमांक 1 के अनुसार समाज कल्याण की दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन करना है। परिषद द्वारा पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित किये जाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु परिषद को संस्था के निम्न अभिलेखों की आवश्यकता हैः–

1. समाज कल्याण की दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) पोर्टल पर किये गये ऑन–लाइन आवेदन की पठ्नीय एवं सत्यापित प्रति।
2. परिषद द्वारा निर्गत सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार पत्र की सत्यापित प्रति।
3. AISHE कोड आवंटन की सत्यापित प्रति।

उपरोक्त अभिलेखों को परिषद की ई–मेल anuparishadbte@gmail.com पर दिनांकः 25.07. 2024 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। त्रुटिपूर्ण आवेदनों को किसी भी दशा में परिषद द्वारा अग्रसारित नहीं किया जायेगा, अन्यथा कि स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य / निदेशक का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 3002-04 तद्दिनांकः 18/07/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित **को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य / निदेशक को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव